



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082020-220951  
CG-DL-E-08082020-220951

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2339]  
No. 2339]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 2020/श्रावण 15, 1942  
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2020/SRAVANA 15, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2020

का.आ. 2638(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. २९३३ (अ), तारीख ०९ अगस्त, २०१९, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में NH53 के कि.मी. 60.68 से कि.मी.100 (उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, आर्वी जिल्हा -वर्धा) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "३० अगस्त २०१९" को "द हितवादा" और "लोकमत" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में NH53 के कि.मी. 60.68 से कि.मी.100 (उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, आर्वी जिल्हा-वर्धा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

| राज्य का नाम: महाराष्ट्र |                      | जिले का नाम: वर्धा |                 |                                  |                                    |
|--------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|
| क्रमिक संख्या            | सर्वेक्षण संख्या     | भूमि का प्रकार     | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम |
| 1                        | 2                    | 3                  | 4               | 5                                | 6                                  |
|                          | तालुक का नाम: कारंजा |                    |                 |                                  |                                    |
|                          | गांव का नाम: पलोरा   |                    |                 |                                  |                                    |
| 1                        | 171/1K               | निजी               | कृषि अयोग्य     | 0.15                             | श्रीधर शंकरराव ठाकरे<br>( )        |
|                          |                      |                    | कुल             | 0.1500                           |                                    |

[फा. सं. NHAI/11013/9/2003/LA-236/BOT-1/3A/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2020

**S. O. 2638 (E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. No.2933(E), dated the 9th August, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH53 on the stretch of land from Km 60.68 to Km 100 (office of Sub Divisional Officer, Arvi, Dist-Wardha) in the district of WARDHA in the State of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Hitvada” and “Lokmat” both dated 30th August, 2019; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

#### SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH53 in the stretch of land from Km 60.68 to Km 100 of NH53 (office of Sub Divisional Officer, Arvi, Dist- Wardha) in the district of WARDHA in the State of MAHARASHTRA

| State: MAHARASHTRA |                 |              | District: WARDHA |                 |                                                             |
|--------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Sr. No.            | Survey Number   | Type of Land | Nature of Land   | Area in Hectare | Name of the Land Owner/Interested Person<br>Part Survey No. |
| 1                  | 2               | 3            | 4                | 5               | 6                                                           |
|                    | Taluk: Karanja  |              |                  |                 |                                                             |
|                    | Village: Palora |              |                  |                 |                                                             |
| 1                  | 171/1K          | Private      | Non Agriculture  | 0.15            | Shridhar Shankarrao Thakare                                 |
|                    |                 |              | <b>TOTAL</b>     | <b>0.15</b>     |                                                             |

[F. No. NHAI/11013/9/2003/LA-236/BOT-1/3A/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.